न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2016 G.C.M.S. No. 2016/00221 दर्ज दिनांक :26.02.2016

अपीलार्थिगणः

1. करताराम वल्द मला जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
2. अनाराम पुत्र मला जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
3. वेलाराम पुत्र मला जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
4. भलाराम पुत्र मला जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
5. चमनाराम पुत्र मला जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
6. टिपू बेवा मला जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
7. तगी पुत्री मला जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
8. पारू पुत्री मला जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान तहसील सांचौर, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. सोनाराम वल्द मनरूपा जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
2. देवाराम पुत्र मनरूपा जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
3. धीराराम वल्द भगराम जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
4. देवाराम वल्द भगराम जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
5. रूपाराम वल्द मगराम जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
6. वजीदेवी पत्नी मगराम जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ा फौत (विलोपित)
7. भगा वल्द दरगा जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
8. हंसा वल्द दरगा जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
9. दूदा वल्द प्रेमा जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान
10. अन्तरी पत्नी प्रेमा जाति कलबी, निवासी वासनदेवड़ान तहसील सांचौर जिला जालोर
11. सरकार जरिए तहसीलदार सांचौर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सांचोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2012 बअनवान सोनाराम बनाम करताराम में पारित आदेश दिनांक 17.02.2016

पैरोकारः–

1. श्री ओमप्रकाश चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री शम्भूदान आशिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः 29.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

05/2012 बअनवान सोनाराम बनाम करताराम में पारित आदेश दिनांक 17.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 ने अपनी खातेदारी के खेत में आने जाने के लिए धारा 251 क के तहत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर चार बार मौका जांच के बाद मातहत अदालत ने प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये रास्ते से हटकर दुसरी जगह अपीलांटस के खेत के बीचो बीच रास्ते से हटकर दुसरी जगह रास्ता निकालने का आदेश दिया। प्रार्थीगण 2 अलग अलग खेतो के खातेदार है प्रार्थी संख्या 03 से 06 खसरा नम्बर 184 के खातेदार है व प्रार्थी संख्या 01 व 02 खसरा संख्या 185, 186 व 187 के खातेदार है। इस प्रकार दोनो खातेदारान को दो अलग अलग प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था दोनो खसरा नम्बरान के खातेदार पूराने समय में अलग अलग रास्तो से चले आ रहे है। प्रार्थी संख्या 01 व 02 व प्रार्थी संख्या 03 से 06 तक खातेदारी के खेत में से होकर आना पडता है जिन्होने रास्ते की मांग नहीं की है व न ही रास्ता है। खसरा संख्या 175 व 183 अपीलांट व रेस्पोडेन्टस संख्या 07 से 10 तक की संयुक्त खातेदारी की जमीन है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 07 से 10 को नही सुना गया उसके बावजूद भी उनके विरूद्ध आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 ने रास्ता खसरा संख्या 175 व 183 के माठ माठ पर से मांगा था परन्तु अदालत मातहत ने अपीलांट के खसरा संख्या 175 में बीचों बीच ढाणी के पास से होकर व बेरे के उपर होकर दे दिया जो नियम विरूद्ध था क्योंकि अपीलांटस ने न तो सहमति दी है व न ही अपीलांट के सामने मौका देखा गया है। रेस्पोडेन्ट के खसरा संख्या 185, 186, 187 के अलावा खसरा संख्या 193 भी इनकी खातेदारी की भूमि है जो मुख्य रास्ते पर ही स्थित है। उक्त रास्ता ग्राम से होकर टिटोप जाने का मुख्य मार्ग है। रेस्पोडेन्ट्स के दोनो खेतो में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 190 से पीढियो से आते जाते रहते है तथा वर्तमान में भी इसी खसरा नम्बर 190 से आते जाते है जो सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थीगण ने जानबुझकर 3–4 बार मौका रिपोर्ट मंगवायी। जिसमें अपीलांट सहमत नहीं थे। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आराजी में रास्ता देने में वाक्याती भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त फरमावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व दीगर रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 184, 185, 186, 187 तक पहुच के लिए पहुच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2016 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.02.2016 के आधार पर पारित किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन नजरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध भू अभिलेख व अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेण्ट की आराजी खसरा 184, 185, 186 व 187 एवं निकटतम गैर मुमकीन रास्ता के मध्य अपीलाण्ट की आराजी खसरा संख्या 175 स्थित है। प्रार्थी रेस्पोडेण्ट की आराजी तक पहुंच के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं। अतः रास्ता के मांग महज सुविधा नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 184, 185, 186 व 187 के निकटतम पहुच मार्ग एवं प्रार्थी की आराजी के मध्य अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 175 है। मौका फर्द दिनांक 09.02.2016 के द्वारा मार्क A,B,C,D रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त स्वीकृत रास्ता निकटतम दूरी का एकमात्र विकल्प है। अपीलांट का यह उज्र कि खसरा संख्या 190 में से नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है के संबध में हमारे विनम्र मत मे मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.02.2016 के द्वारा आवेदित भूमि से मार्गो की दूरी को रेखांकित किया, जिसमें से अपीलांट को रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा संख्या 175 में से होकर यदि रास्ता दिया जाता है, तो दूरी 241 मीटर होती है तथा यदि खसरा नम्बर 190 में से यह दूरी 272 मीटर होती है, जो रेस्पोडेन्ट की भूमि में से रास्ता दिये जाने की अपेक्षाकृत अधिकतम है। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा इससे निकटतम दूरी का अन्य विकल्प प्रस्तावित नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जवाब एवं आपति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तथा जवाब प्राप्त कर एवं आपत्ति पर पुनः प्रतिवेदन तलब कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 251क का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2012 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को समुचित तामिल उपरांत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी की आपतियों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अनेक बार मौका रिपोर्ट तलब की गयी। दिनांक 10.05.2013 नायब तहसीलदार सांचौर की मौका रिपोर्ट, दिनांक 17.01.2014 तहसीलदार सांचौर की मौका रिपोर्ट, दिनांक 25.04.2014 तहसीलदार सांचौर की मौका रिपोर्ट, दिनांक 03.06.2014 तहसीलदार सांचौर की मौका रिपोर्ट एवं दिनांक 09.02.2016 उपखण्ड अधिकारी सांचौर द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर स्वयं द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट, अतः स्पष्ट है कि न केवल अप्रार्थीगण को सुनवाई व प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्राप्त हुआ। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी प्रकरण की समुचित जांच एवं परीक्षण उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना स्पष्ट है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि साबित नहीं होती है। अतः अपीलांट के उजरात स्वीकार योग्य नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने एवं अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलाण्ट अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2012 बअनवान सोनाराम बनाम करताराम में पारित आदेश दिनांक 17.02.2016 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली